

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवार्ये राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/ले.टे./एफ-1543/2019/

दिनांक :

आदेश

श्री विजय कुमार, लेब टेक्नीशियन क.रा.बी.औष न1, कोटा जिनकी जन्म तिथि 08.10.1966 है तथा राज्य सेवा मे प्रथम नियुक्ति तिथि 12.12.1984 है को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राज0 सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) के अनुसरण में दिनांक 01.08.2019 से स्वेच्छक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है। दिनांक 01.08.2019 इनका अकार्य दिवस होगा। इनके विरुद्ध:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है,
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

द्वे

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशा0)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये

राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/ले.टे./एफ-1543/2019/308 दिनांक 14/5/19
प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक पेंशन एवं रिटायर्स वेलफेयर विभाग राज0 जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये कोटा-कोटा।
3. उप निदेशक, निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये, ई.एस.आई योजना, लक्ष्मी नगर, अजमेर रोड जयपुर-6।
4. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, क.रा.बी.औष न1, कोटा।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित पर लख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
6. श्री विजय कुमार, लेब टेक्नीशियन को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. आदेश / डीपीआर। सेल / निजी पतावली

उक्त कर्मचारी के विरुद्ध यदि आडिट पेश या अन्य कोई वसूली बकाया हो ता उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत कराव।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये
राजस्थान जयपुर